न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

परिवाद सं0–1331/2021

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0एल0पी010002465–2022

अशफाक बनाम श्रवण कुमार

धारा–406 भा0दं0सं0
थाना–मोहम्मदी, जिला–खीरी।

01.10.2022

अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र राधेश्याम नि0 ग्राम वाकर गंज ग्रन्ट मिर्जापुर, थाना हैदराबाद, जिला–खीरी की ओर से परिवाद सं0–1331/2021 धारा–406 भा0दं0सं0 थाना मोहम्मदी, जिला–खीरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। वह गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है। वह अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत की सुविधा का दुरुपयोग नहीं करेगा। न्यायालय से अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से दर्शित है कि अभियुक्त उक्त अपराध में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त पर धोखाधड़ी करके परिवादी के रुपये गवन करने का अभियोग है। मामला परिवाद पर आधारित, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्व ारा परीक्षणीय है तथा अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। इस बावत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Satender kumar Antil versus Central Bureau of Investigation and Anr. {SLP (Crl.) No(s). 5191/2021 order dated 07.10.2021}** में दिशा–निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त दिशा–निर्देश तथा आरोप की प्रकृति व दण्ड की अवधि के दृष्टिगत अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

**आदेश**

अभियुक्त द्वारा मु0 20,000 (बीस हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1– अभियुक्त दौरान विचारण/विवेचना न्यायालय/विवेचक द्वारा तलब किये जाने पर नियत तिथि पर उपस्थित रहेगा।

2– अभियुक्त किसी भी साक्षी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से प्रभावित अथवा प्रताड़ित नहीं करेगा।

(रुचि श्रीवास्तव)
यू0पी02193
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
01.10.2022